

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan  
website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: [nsscceraj@gmail.com](mailto:nsscceraj@gmail.com) Ph.: 8209357575

क्रमांक: एफ.8(22)बजट/एनएसएस/आकाशि/2022/965-67

दिनांक: 16 जनवरी, 2023

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय  
(एन.एस.एस. से सम्बन्धित)  
राजस्थान।

विषय :- राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान नई प्रणाली से जारी करने हेतु नवीन बैंक खाता खोले जाने बाबत।

सन्दर्भ :- राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक : प.3(2)शिक्षा/4अ/2016 जयपुर दिनांक 13.01.2023.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग (एन.एस.एस. प्रकोष्ठ) के पत्रांक F.No.K-11032/3/2022-NSS दिनांक 06.10.2022 व ईमेल दिनांक 02.01.2023 एवं वित्त मंत्रालय के पत्रांक F.No.1(18)/PFMS/FCD/2021 दिनांक 09.03.2022 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान राशि सत्र 2022-23 से नई प्रणाली द्वारा जारी करने का निर्णय लिया गया है।

नई प्रणाली से अनुदान राशि जारी करने हेतु एन.एस.एस. से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों का शीघ्र "भारतीय स्टेट बैंक" में "Zero Balance Subsidiary Account" (Current Account) खोला जाना है। जिन महाविद्यालयों के पूर्व से भारतीय स्टेट बैंक में खाते खुले हुए हैं उन्हें भी नया "Zero Balance Subsidiary Account" (Current Account) अनिवार्य रूप से खुलवाया जाना है।

अतः सन्दर्भित पत्र एवं संलग्नकों की छाया प्रति संलग्न प्रेषित कर आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अविलम्ब आपके महाविद्यालय में "Zero Balance Subsidiary Account" (Current Account) खुलवा कर राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग, शासन सचिवालय से सम्पर्क करें, ताकि सत्र 2022-23 का अनुदान जारी किया जा सके।

कृपया कार्य को प्राथमिकता दें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुनील शर्मा)  
आयुक्त

प्रतिलिपि -

1. राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक : प.3(2)शिक्षा/4अ/2016 जयपुर दिनांक 13.01.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
2. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।

(डॉ. सुरेन्द्र सिंह)

समन्वयक,

युवा कौशल एवं विकास प्रकोष्ठ

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-4 अ) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक: प. 3(2)/शिक्षा/4अ/2016

जयपुर दिनांक: 13.01.2023

श्रीमान आयुक्त महोदय,  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,  
राजस्थान जयपुर।

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान नई प्रणाली से जारी करने हेतु नवीन बैंक खाता खोले जाने बाबत।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, के युवा कार्यक्रम विभाग (एन.एस.एस प्रकोष्ठ) के पत्रांक F.No. K-11032/3/2022-NSS दिनांक 06.10.2022 व ईमेल दिनांक 02.01.2023 एवं वित्त मंत्रालय के पत्रांक F.No. 1(18)/PFMS/FCD/2021 दिनांक 09.03.2022 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान राशि सत्र 2022-23 से नई प्रणाली द्वारा जारी करने का निर्णय लिया गया है।

नई प्रणाली से अनुदान राशि जारी करने हेतु एन.एस.एस. से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों का शीघ्र "भारतीय स्टेट बैंक" में "Zero Balance Subsidiary Account"(Current Account) खोला जाना है। जिन महाविद्यालयों के पूर्व से भारतीय स्टेट बैंक में खाते खुले हुये हैं उन्हें भी नया "Zero Balance Subsidiary Account (Current Account)" अनिवार्य रूप से खुलवाया जाना है। अतः पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-अ एवं उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ नजदीकी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में सम्पर्क करें। उक्त नवीन बैंक खाता खोलने हेतु भारतीय स्टेट बैंक मुख्यालय द्वारा सभी शाखाओं को निर्देशित किया जा चुका है जिससे महाविद्यालय के प्रतिनिधि को सम्बन्धित बैंक शाखा में Zero Balance Subsidiary Account (Current Account) खुलवाने हेतु किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित सभी महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के पीएफएमएस पर पूर्व खाते की एडमिन आईडी को ओपन कर संलग्न पीपीटी अनुसार नवीन बैंक खाता संख्या को PFMS पोर्टल पर जोड़ना(Add/Map) होगा। बैंक खाता जुड़ (Add) जाने पर ऑनलाइन उक्त खाता संख्या को राज्य सम्पर्क अधिकारी कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा Approve कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय के बैंक खाते में इस विभाग द्वारा अनुदान जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी।


Zero Balance Subsidiary Account (Current Account) खोले जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

सभी महाविद्यालयों को यह भी निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि पूर्व में जारी राष्ट्रीय सेवा योजना का अनुदान अगर किसी भी महाविद्यालय के पास अवशेष है तो शीघ्र "राजस्थान स्टेट एन.एस.एस.सैल" के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट बना कर राज्य सम्पर्क अधिकारी कार्यालय को दिनांक 31.01.2023 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

अतः श्रीमान एन.एस.एस से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों एवं समन्वयक (एन.एस.एस.), कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर को स्वयं का खाता भी खोलने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें। जिससे सत्र 2022-23 की अनुदान राशि जारी करने की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

  
13.01.2023

(डॉ० धर्मेन्द्र सिंह)

राज्य सम्पर्क अधिकारी  
राज्य सम्पर्क अधिकारी,

शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग

प्रतिलिपि: समन्वयक, रा.से.यो एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
राज्य सम्पर्क अधिकारी



राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-4 अ) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक: प. 3(2)/शिक्षा/4अ/2016

जयपुर दिनांक: 13.01.2023

श्रीमान आयुक्त महोदय,  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,  
राजस्थान जयपुर।

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान नई प्रणाली से जारी करने हेतु नवीन बैंक खाता खोले जाने बाबत।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, के युवा कार्यक्रम विभाग (एन.एस.एस प्रकोष्ठ) के पत्रांक F.No. K-11032/3/2022-NSS दिनांक 06.10.2022 व ईमेल दिनांक 02.01.2023 एवं वित्त मंत्रालय के पत्रांक F.No. 1(18)/PFMS/FCD/2021 दिनांक 09.03.2022 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान राशि सत्र 2022-23 से नई प्रणाली द्वारा जारी करने का निर्णय लिया गया है।

नई प्रणाली से अनुदान राशि जारी करने हेतु एन.एस.एस. से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों का शीघ्र "भारतीय स्टेट बैंक" में "Zero Balance Subsidiary Account"(Current Account) खोला जाना है। जिन महाविद्यालयों के पूर्व से भारतीय स्टेट बैंक में खाते खुले हुये हैं उन्हें भी नया "Zero Balance Subsidiary Account (Current Account)" अनिवार्य रूप से खुलवाया जाना है। अतः पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-अ एवं उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ नजदीकी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में सम्पर्क करें। उक्त नवीन बैंक खाता खोलने हेतु भारतीय स्टेट बैंक मुख्यालय द्वारा सभी शाखाओं को निर्देशित किया जा चुका है जिससे महाविद्यालय के प्रतिनिधि को सम्बन्धित बैंक शाखा में Zero Balance Subsidiary Account (Current Account) खुलवाने हेतु किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित सभी महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के पीएफएमएस पर पूर्व खाते की एडमिन आईडी को ओपन कर संलग्न पीपीटी अनुसार नवीन बैंक खाता संख्या को PFMS पोर्टल पर जोड़ना(Add/Map) होगा। बैंक खाता जुड़ (Add) जाने पर ऑनलाइन उक्त खाता संख्या को राज्य सम्पर्क अधिकारी कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा Approve कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय के बैंक खाते में इस विभाग द्वारा अनुदान जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

Zero Balance Subsidiary Account (Current Account) खोले जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

सभी महाविद्यालयों को यह भी निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि पूर्व में जारी राष्ट्रीय सेवा योजना का अनुदान अगर किसी भी महाविद्यालय के पास अवशेष है तो शीघ्र "राजस्थान स्टेट एन.एस.एस.सैल" के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट बना कर राज्य सम्पर्क अधिकारी कार्यालय को दिनांक 31.01.2023 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

अतः श्रीमान एन.एस.एस से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों एवं समन्वयक (एन.एस.एस.), कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर को स्वयं का खाता भी खोलने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें। जिससे सत्र 2022-23 की अनुदान राशि जारी करने की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

Sd.  
(डॉ० धर्मेन्द्र सिंह)  
राज्य सम्पर्क अधिकारी

✓ प्रतिलिपि: समन्वयक, रा.से.यो एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, शिक्षा, सकुल,  
जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*bnq*  
13.01.2023  
राज्य सम्पर्क अधिकारी  
राज्य सम्पर्क अधिकारी,  
शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर

## **PRODUCT CODES FOR CNA IMPLEMENTING AGENCIES**

CNA Nodal Account of the NSS (National Service Scheme) has been opened in the Secretariate Branch (31031), Jaipur.

Under the Scheme Zero Balance Subsidiary Accounts (ZBSA) are to be opened for the Implementing Agencies. Please find below the product codes advised by GBSSU Corporate Center, for opening of the new IA accounts-

### **Current Account (5011-2141) – Zero Balance Subsidiary Account**


**Please note that the Accounts of the IAs are to be opened in the New/Existing CIF of the Implementing Agency only. In any case the ZBSA account will not be opened under the CNA's CIF.**

Documents Needed for Account Opening:

1. Duly filled Current Account opening form.
2. Letter from Govt. for opening of Account.
3. Letter from Deptt. for opening of Current Account, mentioning the Name of Account, mode of operation in account, designation of operating functionaries.
4. Copy of KYC of firm e.g. PAN/TAN no., GST no., Electricity bill, Telephone bill, which is available etc.
5. Copy of KYC of operating functionaries e.g. PAN/Aadhar card, ID card etc.
6. Two (2) photographs of operating functionaries.

In case of any Issues faced in the Account Opening Exercise Please Contact-


Sh. Sashikant Chourasiya, Sectt. Branch- 7742897888

  
 19.01.2023  
 राज्य सम्पक अधिकारी,  
 शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग  
 शासन सचिवालय, जयपुर



## To register scheme in your implementing agency (IAs), following steps are required.

1. Login with admin ID provided to you.
2. Click on My Scheme tab then click on register new scheme.
3. Following window will open.



4. Select the scheme by entering your scheme code 9230

*Anjali*  
राज्य संपर्क अधिकारी,  
शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग  
भासन सचिवालय, जयपुर



5. Tick on I will receive fund from this agency and click on search button.

6. A pop-up window will open, here enter the unique code of your funding agency state NSS and click on search button in the pop-up window, now the funding agency will be selected. The Implementing Agency needs to select the Name of Agency from which the Funds will be received.

*Dimple*  
 13.01.2023  
 राज्य सम्पत्क अधिकारी,  
 शिक्षा (गुण-4-अ) विभाग  
 वासव सचिवालय, जयपुर



Public Financial Management System-PFMS  
D/o Controller General of Accounts, Ministry of Finance

Welcome: RJA100003383  
User Type: AGENCYADM  
Agency: DAYANAND COLLEGE, AJMER  
Agency Unique Code: RJA100003383  
Financial Year: 2022-2023

Registered New Scheme / Bank Account

Please Select Funding Agency Name

Scheme: National Service Scheme (NSS)

An Error has occurred in this page. Please contact administrator

Agency Name: [ ] Agency Unique Code: [RJA100003383]  
State: [Select] District: [Select]

Select Funding Agency

Rajasthan State NSS Cell

Home | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | © 2019 CENTRAL PLAN SCHEME MONITORING SYSTEM. All Rights Reserved.

7. Click on check CNA details, than the bank name will be automatically filled.

Public Financial Management System-PFMS  
D/o Controller General of Accounts, Ministry of Finance

Welcome: RJA100003383  
User Type: AGENCYADM  
Agency: DAYANAND COLLEGE, AJMER  
Agency Unique Code: RJA100003383  
Financial Year: 2022-2023

Registered New Scheme / Bank Account

Scheme: National Service Scheme (NSS)

Select Funding Agency: [Rajasthan State NSS Cell Paper/Rajasthan State NSS Cell] [Select]

Account Type: [Zero Balance Subsidiary Account] [Select]

Bank Name: [RSTC (Raj. of INDIA)] [Select]

Branch Address: [ ] [Search] [Select Branch]

Branch Name: [ ] [Select]

Agency Name As Per Bank: [ ]

Agency Account Scheme Component Mapping

[Save] [Reset]


Home | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | © 2019 CENTRAL PLAN SCHEME MONITORING SYSTEM. All Rights Reserved.

8. Select account type as CNA account.

*Anshu*  
संयुक्त संघिक अधिकारी,  
शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर




9. Click on select branch, a pop up window will open, enter the IFSC code and search your branch address.



10. Click on "Agency account Scheme Component Mapping" and in the pop-up window, now the Bulk will be selected. And click on save Button

*Anshu*  
 15/01/2023  
 राज्य सरकार के अधिकारी,  
 शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग  
 शासन सचिवालय, जयपुर





11. Click on Save button.

12. Scheme will be added to your agency and State NSS CNA agency will approve your scheme and account.

*Amrta*  
 12.01.2023  
 राज्य सचिवक अधिकारी,  
 शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग  
 शासन सचिवालय, जयपुर